

कार्यों के निर्वहन के मानदंड

किए जाने वाले कार्यों / प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति : <https://bel-india.in> पर "हम क्या करते हैं" शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है

कार्य / सेवा सुपुर्दगी और प्रक्रिया जिसके द्वारा ये सेवाएँ प्राप्त की जा सकती हैं, के मानदंड / मानक:

कंपनी में विभिन्न कार्यों का निर्वहन करने के लिए सुपरिभाषित प्रक्रियाएँ और दिशा-निर्देश हैं। ये इस प्रकार हैं:

- 1) सुपरिभाषित नीतियाँ और दिशा-निर्देश  
बीईएल में सुपरिभाषित नीतियाँ और दिशा-निर्देश हैं जो कंपनी के प्रमुख कार्यकलापों को नियंत्रित करते हैं। कार्यों का निर्वहन करते समय, अधिकारी इन नीतियों और दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं।
- 2) नियम और नियम-पुस्तिकाएं  
बीईएल में ऐसे नियम और प्रक्रियागत नियम-पुस्तिकाएँ हैं जिनके द्वारा सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों जैसे भर्ती, खरीद, आंतरिक लेखा परीक्षा, बजट, सूचना सुरक्षा, आचार, अनुशासन एवं अपील आदि शामिल होते हैं। इन नियमों और नियम-पुस्तिकाओं में कार्यकलापों को व्यवस्थित और मानकीकृत ढंग से करना सुनिश्चित किया जाता है जिससे विवेकाधिकार का प्रयोग करने का कार्यक्षेत्र कम होता है। कार्यों का निर्वहन करते समय, इन नियमों और नियम-पुस्तिकाओं से कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर पाते हैं।
- 3) लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देश  
एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम होने के नाते बीईएल लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करती है।
- 4) केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश  
एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम होने के नाते बीईएल केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करती है।
- 5) संविधि आदि के प्रावधानों का अनुपालन  
संबंधित कार्यों का निर्वहन करते समय, अधिकारियों को सभी लागू संविधियों तथा संबंधित नियमों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करना होता है।

लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय-सीमा -

लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय-सीमा लागू संविधियों, नियमों और विनियमों आदि में निर्धारित समय-सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी की आवश्यकता के अनुसार तय की जाती है।

शिकायत निवारण की प्रक्रिया -

बीईएल ने अपने कर्मचारियों (स्टाफ़) और सार्वजनिक दोनों की शिकायतों के निवारण का प्रावधान किया है। कर्मचारी (स्टाफ़) शिकायत निवारण व्यवस्था कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने की आंतरिक प्रक्रिया है। [सार्वजनिक \(लोक\) शिकायत निवारण व्यवस्था](#) कंपनी के विरुद्ध सार्वजनिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए आशयित है।

[नागरिक चार्टर](#)